# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 80/2018
प्रविष्टि दिनांक 15–11–2018

सुवालाल पुत्र रामपाल जाति मीणा आयु 65 वर्ष निवासी चोकड़ी तह0 टोंक जिला–टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**
**विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 5–9–2018**

उपस्थिति :– (1) श्री विजय पारीक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय** **दिनांक 28–12–2020**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 5–9–2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3310 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 130/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार टोंक द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरूद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट [illegible] राज्य कर्मचारी है जिसकी आयु 65 वर्ष है, जो राज्य सराकार [illegible] अपीलान्ट द्वारा किसी भी राजकीय/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण [illegible] नहीं है। किन्तु फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:48:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भी तहसीलदार ने अपीलान्ट को सजायाब किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट को तहसीलदार टोंक द्वारा नोटिस जारी किया है। नोटिस की तामील चस्पान्दगी से कराई गई है। बावजूद तामील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। सरकारी पक्ष की ओर से पटवारी हल्का को सुना जाकर व उसके बयान दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 3310 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर अपीलान्ट ने बाजरे की फसल काश्त करके अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 561/2017 से इसी खसरा नम्बर में 4 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर बेदखल किया गया था एंव पूनः पश्चातवर्ती अतिकमी होना माना गया है। अपीलान्ट चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की चस्पान्दगी से तामील मानी गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3310 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना साबित है। अपीलन्ट ने स्वय अपील प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15-11-2018 को शपथ पत्र पेश किया था कि भूमि खसरा नम्बर 3310 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है ओर न ही कोई कच्चा,पक्का निर्माण है, ओर न ही भविषय में उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने की भावना रखूगा। इस सम्बन्ध में तहसीलदार टोंक से मौके की जॉच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 5-9-2018 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। शेष निर्णय तहसीलदार टोंक यथावत रहेगा प्रार्थना-पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner